भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3224 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

दीव पत्तन के लिए कैपिटल ड्रेजिंग परियोजनाएं

3224. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तकनीकी स्वीकृति मिलने और आवश्यक प्रशासनिक एवं निविदा प्रक्रियाओं के पूरा होने के बावजूद वित्तीय स्वीकृति न मिलने/निधि जारी न होने के कारण सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव में दीव पत्तन और वणकबारा दर्रे के लिए कैपिटल ड्रेजिंग परियोजनाएं शुरू नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्तीय स्वीकृति देने में विलंब के लिए प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही तय की जाएगी, जिसके कारण परियोजना लागत में वृद्धि होती है या पुनः निविदा, पुनः मूल्यांकन या अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और जिससे समय और सार्वजनिक निधि का अतिरिक्त नुकसान होता है तथा स्थानीय लोगों को असुविधा होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों/विभागों के विरुद्ध क्या जवाबदेही तय की जाएगी;

(घ) क्या सरकार का उक्त दो परियोजनाओं के लिए शीघ्र वित्तीय स्वीकृति देने और निधि जारी करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रमश: 46.44 करोड़ रुपए और 45.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर और सागरमाला योजना के तहत 23.22 करोड़ रुपए और 22.95 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 'दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के वनकबरा पत्तन में ड्रेजिंग' और 'दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के दीव पत्तन पर ड्रेजिंग' परियोजनाओं के लिए अक्तूबर, 2018 में सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। तथापि, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (डीएनएचएंडडीडी) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो परियोजना निष्पादन एजेंसी है, द्वारा 5 वर्षों से अधिक समय से यह परियोजना निष्पादित नहीं की जा सकी। अत:, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला योजना के तहत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए दिनांक 04.06.2024 को इस परियोजना की मंजूरी रद्द कर दी गई।

इसके बाद, डीएनएचएंडडीडी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने परियोजना के प्रशासनिक अनुमोदन और क्रमश: 80.29 करोड़ रुपए और 81.34 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत पर परियोजनाओं के व्यय की स्वीकृति के लिए नवंबर, 2024 में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संपर्क किया। तथापि, 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान वर्तमान सागरमाला योजना में राजकोषीय बाधा के कारण परियोजना को समायोजित नहीं किया जा सका।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इन दो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी सागरमाला 2.0 योजना के अनुमोदन के अध्यधीन है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी विलंब से बचने के लिए इन दो परियोजनाओं को अलग-अलग अपने स्वयं के बजट से निष्पादित कर सकते हैं।
